रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1435] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2012/श्रावण 10, 1934
No. 1435] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2012/SHRAVANA 10, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2012

का.आ. 1734(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री विकास रामचंद्र किनगावकर, बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(4)/2011-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2012

S.O. 1734(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Vikas Ramchandra Kingaonkar, former judge of High Court of Bombay, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever, is earlier.

[F. No. 17(4)/2011-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

2861 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.